


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

करने के आदेश दिनांक 6-4-15 पारित कर दिये
जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने यह अपील की है तथा
अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत धारा 177 R.T. Act
की कार्यवाही करते हुये न्यायालय उप-स्वराधिकारी
घौलपुर में विवादित भूमि को सिद्धांततः दर्ज करने
हेतु प्रस्तुत कर दी। न्यायालय उप-स्वराधिकारी
घौलपुर ने प्रा० पत्र धारा 177 R.T. Act का निर्णय
दिनांक 29/6/18 को करते हुये कि वर्तमान में
विवादित भूमि पर कोई गैर अधि कार्य नहीं
होना पाये जाने के कारण प्रा० पत्र की कार्यवाही
को ड्रॉप कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय
तहसीलदार घौलपुर के द्वारा की गई धारा 91 LA Act
की कार्यवाही में कोई सार नहीं रह जाता है।
अतः न्यायालय उप-स्वराधिकारी का निर्णय
दिनांक 29/6/18 रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलान्ट
की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय
तहसीलदार घौलपुर का निर्णय दिनांक 6-4-2015
निरस्त किया जाता है। उक्त आदेशिका की प्रति
के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस
भिजवाया जाये। पत्रावली फ़ैसल्य शुमार होकर नम्बर
से कम्प की जाकर बाद तत्काल राखिल स्फ़टर हो
निर्णय मेरे हाथ लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया
गया।


नरेन्द्र के० वर्मा
अति० जिला-मजिस्ट्रेट
घौलपुर

06/3/20

अभिभाषक उभयपक्ष उपर - चूंकि उक्त अपील से सम्बंधित मूल अपील संख्या 16/2015 उनवानी पाथ इंग्लिया खि० व/५ सरकार में प्राथमिक पत्र आदेश- 23 नियम-1 CPC स्वीकार होने पर दि० 6/3/20 को विद्वां की जाकर खारिज हो चुकी है।

इस अपील में प्राथी मुकेश कुमार व अन्य के अभिभाषक की ओर से एक प्राथमिक दस्तावेज रिकार्ड पर लेकर अपील का निस्तारण किये जाने का वादा पेश हुआ है। जिसके साथ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चोखपुर का निर्णय दिनांक 29/6/2018 उनवानी सरकार व/५ अमेश चन्द वर्गेश पेश किया है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चोखपुर ने विवादित आराजी के खातेदारान द्वारा विनाभूमि संपरिवर्तन कराये विवादित आराजी में गैर कृषि कार्य किये जाने पर अपीलान्ट के विरुद्ध 91 LR/18 की कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को बेइखल